



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272511
CG-DL-E-13052026-272511

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2368]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2026/वैशाख 23, 1948

No. 2368]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2026/VAISAKHA 23, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2026

का.आ. 2460(अ).— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 8 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना का.आ.(अ) 5238(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा छियासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय सशक्तता समिति में निम्नलिखित नियुक्तियाँ करती है:

- श्री चन्द्र प्रकाश गोयल, अध्यक्ष, श्री सिद्धांत दास का कार्यकाल पूरा होने पर
- श्री अंजन कुमार मोहंती, सदस्य
- डॉ. एस.सी. गकोटी, सदस्य, डॉ. जे.आर. भट्ट का कार्यकाल पूरा होने पर

2. समिति की शेष संरचना, नियम एवं शर्तें, उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 और आदेश सं. एफ. सं. 13-12/2022-एसयू दिनांक 22 नवम्बर, 2024, जिसे अधिसूचना सं.का. आ.3946(अ) दिनांक 05 सितम्बर, 2023 के साथ पठित किया जाए, में यथाविनिर्दिष्ट अपरिवर्तित रहेंगी।

[फ़ा.सं.13-12/2022-एसयू]

कृष्ण बहादुर सिंह, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2026

S.O. 2460(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), and in partial modification of the Notification No. S.O. 5238(E) dated the 8th December, 2023 the Central Government hereby makes the following appointments to the *Central Empowered Committee* with immediate effect for a period of three years or till they attain the age of Sixty Six years or till any other order of the Central Government whichever is earlier:

1. Shri Chandra Prakash Goyal, Chairman on completion of tenure of Shri Siddhant Das
2. Shri Anjan Kumar Mohanty, Member
3. Dr. S. C. Garkoti, Member on completion of tenure of Dr. J. R. Bhatt

2. The remaining composition, terms and conditions of the Committee shall remain unchanged as specified in the aforesaid notification dated the 8th December, 2023 and Order No. F. No. 13-12/2022-SU dated 22nd November, 2024 read with the Notification No. S.O. 3946 (E) dated 05th September, 2023.

[F.No.13-12/2022-SU]

KRISHNA BAHADUR SINGH, Inspector General of Forests